न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 29/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/58

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. राजाराम पुत्र रताराम जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 30/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/59

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. मोहनलाल पुत्र चन्दाजी जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 31/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/60

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. पुखराज पुत्र रताराम जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 32/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/61

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. पेमाराम पुत्र गलाराम, जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 33/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/62

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचौडी, तहसील रानी जिला पाली		1. कन्हैयालाल पुत्र श्री रताराम जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2 पंचायत निगरानी संख्या 29/2022 जितेन्द्रसिंह बनाम राजाराम वगैरा
पंचायत निगरानी संख्या 30/2022 जितेन्द्रसिंह बनाम मोहनलाल वगैरा
पंचायत निगरानी संख्या 31/2022 जितेन्द्रसिंह बनाम पुखराज वगैरा
पंचायत निगरानी संख्या 32/2022 जितेन्द्रसिंह बनाम पेमाराम वगैरा
पंचायत निगरानी संख्या 33/2022 जितेन्द्रसिंह बनाम कन्हैयालाल वगैरा

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार।
2. सभी प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/03/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की विषयवस्तु एवं एक समान प्रकृति की होने से उपरोक्त वर्णित समस्त निगरानी याचिकाओं को समेकित कर निर्णय पारित किया जा रहा है। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपरोक्त समस्त निगरानी याचिकाऐं अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा मिसल संख्या 54/2012–13, 56/2012–13, 55/2012–13, 51/2012–13 तथा 57/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी क्रमशः राजाराम पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 7, मोहनलाल पुत्र चन्दाजी के पक्ष में पट्टा संख्या 5, पुखराज पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8, पेमाराम पुत्र गलाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 4 तथा कन्हैयालाल पुत्र रताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। निगरानी याचिकाओं को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टे जारी किए है। जैर निगरानी पट्टे जारी करने से पूर्व इसी भूमि का अप्रार्थी के पिता एवं उनके भाई पेमाराम, चन्दाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 07/1978–79 में पारित निर्णय की पालना में पट्टा संख्या 103 दिनांक 30.10.1981 जारी किया गया था, जिसका माप पूर्व दिशा में 112 फीट, उत्तर–दक्षिण दिशा में 135 फीट एवं पश्चिम दिशा में 132 फीट अर्थात् कुल माप 15795 वर्गफीट था। अप्रार्थी संख्या 01 व उसके भाई, काका तथा काका के पुत्र ने उक्त पट्टे का आपसी बंटवारा कर अलग–अलग कुल पॉच पट्टे ग्राम पंचायत से नियम विरूद्ध जारी करवा दिये तथा इन सभी पट्टो का कुल माप पूर्व दिशा में 112 फीट के स्थान पर 117 फीट एव उत्तर–दक्षिण दिशा में माप 135 फीट के स्थान पर 140 फिट कर दिया। चूंकि जैर निगरानी प्रश्नगत आराजी के उत्तर दिशा में निगरानीकर्ता व उसके परिवार का सामलाती बाडा आया हुआ है, जिस पर अप्रार्थीगण कब्जा करने की कोशिश कर रहे है, इसलिए जैर निगरानी पट्टे जारी होने से निगरानीकर्ता के हित अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के कारण उक्त निगरानी याचिकाऐं प्रस्तुत की गई है। जैर निगरानी प्रश्नगत आराजी पर ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा पूर्व में जारी पट्टा संख्या 103 दिनांक 30.10.1981 पर बंटवारा कर ग्राम पंचायत चांचौडी ने निम्नानुसार पांच पट्टे जारी किये है –

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1. मिसल संख्या 51/2012–13 दिनांक 05.06.2013 की पालना में पेमाराम पुत्र गलाराम के पक्ष में जारी।
2. मिसल संख्या 57/2012–13 दिनांक 05.06.2013 की पालना में कन्हैयालाल पुत्र रताराम के पक्ष में जारी।
3. मिसल संख्या 54/2012–13 दिनांक 05.06.2013 की पालना में राजाराम पुत्र रताराम के पक्ष में जारी।
4. मिसल संख्या 55/2012–13 दिनांक 05.06.2013 की पालना में पुखराज पुत्र रताराम के पक्ष में जारी।
5. मिसल संख्या 56/2012–13 दिनांक 05.06.2013 की पालना में मोहन पुत्र चंदा के पक्ष में जारी।

ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टों की भूमि आबादी भूमि नहीं होकर खातेदारी व गैर मुमकिन बाडा किस्म की भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टे जारी किए है, जो आरम्भ से ही प्रभाव शून्य है। जैर निगरानी पट्टे जारी किये जाने से सम्बन्धित पत्रावलियों में प्रथम आदेशिका दिनांक 19.03.2013 को अंकित की है तथा इसके अगली आदेशिका दर्ज किये जाने के पश्चात सीधे ही पट्टा जारी किये जाने का आदेश जारी किया गया है। उक्त दोनों ही आदेशिकाओं पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी यह स्पष्ट अंकित था कि पूर्व में सामुहिक पट्टा जारी किया हुआ है, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे जारी कर दिये। मिसल में दो गवाह लक्ष्मण व वनाराम के हस्ताक्षर है, वह भी नियम अनुरूप नहीं है, क्योंकि पॉचो मिसलों में उपरोक्त दोनो गवाहान के ही बयानात है, जो संदेहास्पद है। ग्राम चांचौडी तहसील रानी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार भी खसरा संख्या 149–8 किस्म गै.मु.बाडा दर्ज है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत राज नियम 1961 से प्रभावित है, जिसमें पंचायती राज नियम 1961 की अक्षरशः पालना नहीं की गयी है। इसलिये जैर निगरानी स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार तथा विधिनुरूप जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का कटाक्ष करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि मिसल संख्या 07/1978–79 की पालना में पट्टा संख्या 103 किसी अन्य भूमि का है तथा जैर निगरानी पट्टा जो अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है, वह किसी अन्यत्र भूमि का है, जो कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। अधिवक्ता प्रार्थी स्वयं यह साबित करने में असफल रहे है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जारी किया हुआ है अथवा गै.मु. बाडा व खातेदारी भूमि में जारी किया हुआ है ? यदि जैर निगरानी पट्टा खातेदारी भूमि पर जारी किया हुआ है, तो उस भूमि के खसरा नम्बर क्या है ? यह बताने में भी अधिवक्ता प्रार्थी असफल रहे है। जैर आराजी के सम्बन्ध में मा. सिविल न्यायालय, रानी में वाद विचाराधीन है, जिसमें प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 के द्वारा अप्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि पर प्रार्थी का अतिक्रमण बताया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे में राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 257 से लगायत 269 के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नियम की अवहेलना बतायी है, जबकि अप्रार्थी को जारी जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टे में पंचायत नियम 1961 की अवहेलना किये जाने का तो प्रश्न ही प्रकट नहीं होता है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने बिना किसी ठोस वजह के अनैतिक तरीके से जैर निगरानी पेश की है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन एवं अनुशीलन किया। जैर निगरानी मिसल संख्या 54/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी राजाराम पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 56/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी मोहनलाल पुत्र चन्दाजी के पक्ष में पट्टा संख्या 5, मिसल संख्या 55/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी पुखराज पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8, मिसल संख्या 51/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी पेमाराम पुत्र गलाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 4 तथा मिसल संख्या 57/2012–13 दिनांक 19.03.2013 की पालना में अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र रताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है, जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस कथन का विरोध करते हुये यह जाहिर किया कि जैर निगरानी पट्टे किसी अन्यत्र आबादी भूमि पर जारी किए गये है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत चांचौडी से प्राप्त रेकर्ड के संलग्न अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा बनाने हेतु पृथक–पृथक रूप से जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किए है, उनमें यह स्पष्टतः अंकित है कि जैर निरागनी आराजी का पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा चन्दाजी, पेमाराम, रताजी पुत्र गलाजी के पक्ष में सामुहिक पट्टा बना हुआ है, जिसकी मिसल संख्या 7/78–79 पट्टा संख्या 103 दिनांक 30.10.81 है। यह तथ्य स्वयं अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किंया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी समस्त याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये हैं। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं

अति. जिला कलेक्टर पाली

है। हस्तगत प्रकरणों में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसलों का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 19.03.2013, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, जो नहीं करवाये गये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) ''क से ड'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह् लगाती हैं। इन समस्त प्रकरणों में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरणों में गवाहों के बयान विरोधाभाषी है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। सरपंच द्वारा अप्रार्थीगण को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टे जारी किये गये है, उस भूमि पर मिसल संख्या 7/78–79 के अन्तर्गत श्री चन्दाजी, पेमाराम, रताजी पुत्र गलाजी के पक्ष में सामुहिक पट्टा संख्या 103 दिनांक 30.10.81 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी हैं। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाऐं स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चांचौडी द्वारा मिसल संख्या 54/2012–13 में पारित आज्ञा संख्या 3 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी राजाराम पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 7, मिसल संख्या 56/2012–13 में पारित आज्ञा संख्या 3 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी मोहनलाल पुत्र चन्दाजी के पक्ष में पट्टा संख्या 5, मिसल संख्या 55/2012–13 में पारित आज्ञा संख्या 3 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी पुखराज पुत्र रताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 8, मिसल संख्या 51/2012–13 में पारित आज्ञा संख्या 3 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी पेमाराम पुत्र गलाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 4 तथा मिसल संख्या 57/2012–13 में पारित आज्ञा संख्या 3 दिनांक

अति. जिला कलेक्टर पाली

05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र रताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 को अपास्त किया जाता है। निर्णय पृथक–पृथक प्रतियों में लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सम्बन्धित निगरानी याचिका में नत्थी किया जावे। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली

निर्णय आज दिनांक 30/09/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली